03.04.2025 पत्रावली पेश हुई। वकील उभय पक्ष उपस्थित। वकील उभय पक्ष की बहस प्रार्थना–पत्र टी0आई0 सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन अंतर्गत धारा 212 रा0काश्त0 अधिनियम प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए, आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करने हेतु निवेदन किया कि वादग्रस्त भूमि ख0नं0 45/1 रकबा 2.51 है0 ग्राम रायपुरा प0ह0 लढाणा तह0 दांतारामगढ़,सीकर की तन में स्थित है। वादग्रस्त भूमियों पर प्रार्थी का राजस्व रिकार्ड में 1/4 हक हिस्सा है जिस पर प्रार्थी कब्जा काश्त करता चला आ रहा है। भूमियां प्रार्थी को अपने पिता से विरासत में प्राप्त भूमियां है, जिस पर प्रार्थी का 1/4 हक हिस्सा तथा शेष पर प्रति0सं0 1 ता 12 का हक हिस्सा है। अप्रार्थी सं0 1 व कुछ अन्य खातेदार अजनबी केता के रूप में काबिज काश्त है। प्रार्थी एंव प्रति0सं0 7 ता 12 की वंशावली पैरा सं0 4 अनुसार है। प्रार्थी एंव प्रति0सं0 7 ता 12 एक ही परिवार एंव वंशज के सदस्य है। प्रार्थी के पिता की मृत्यु बाल्यकाल अवस्था में ही हो चुकी है, उसके पश्चात् प्रार्थी का लालन पोषण वादी के चाचा स्व0 रिछपाल ने ही किया है। प्रार्थी की पारिवारीक स्थिति काफी कमजोर होने के कारण अप्रार्थी सं0 1 के मन में बेईमानी आ गयी है और अन्य अप्रार्थी सं0 2 ता 6 से मिलकर प्रार्थी के कब्जा काश्त में दखल अंदाजी पैदा करने लग गये है एंव प्रार्थी के हक हिस्से में आयी भूमि को हडपने कि दृष्टि से उस पर आये दिन झगडा फसाद करने पर तुले रहते है तथा उक्त भूमि की सींव–नींव नष्ट करने में लगे रहते है। और प्रार्थी को आये दिन धमकी देते रहते है कि अभी वादग्रस्त भूमियों का मौके पर कोई विभाजन नहीं हुआ है और अभी राजस्व रिकार्ड में बंटवारा नहीं हुआ है। हम इस भूमि को भूमाफियाओ एंव शराब माफिया के लोगों को बेचान करके तुम्हे बेदखल कर देगे । वादी के आई हक हिस्से की भूमि पर अप्रार्थीगण सं0 1 ता 6 द्वारा कच्ची पक्की लिखावट एंव नोटेरी के माध्यम से बेचान करके कुछ हिस्से पर अनावश्यक कब्जा करा दिया गया है, जो कि किसी भी दृष्टि से न्याय संगत नहीं है। उपरोक्त भूमियों का पक्षकारों के मध्य बाई मिट्स एंड बाउण्डस विधिवत रूप से बंटवारा नही हुआ है, जिसका राजस्व रिकार्ड एंव मौके पर बंटवारा किया जाना अति आवश्यक है। प्रार्थी ने प्रार्थना–पत्र पेश कर इसे स्वीकार कर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से विवादित भूमि के मौका व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु निवेदन किया है।

हमने वकील उभय की बहस सुनी, उसपर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया, जिससे जाहिर है कि विवादित कृषि प्रार्थी व अप्रार्थीगण की संयुक्त पैतृक भूमियां है। प्रार्थी द्वारा दावा बाबत बंटवारा एंव स्थाई निषेधाज्ञा प्रसारणार्थ हेतु पेश किया है। अप्रार्थी सं0 1 ता 4 व 6 ता 9 बावजूद रजिस्र्ड तामील उपस्थित नहीं आने पर उनके विरूद्ध कार्यवाही

सहायक कलक्टर(मु.)सीकर

Scanned with CamScanner

एकतरफा अमल में लाई जा चुकी है। अप्रार्थी सं0 5 को जवाब आवेदन पत्र टी0आई0 हेतु कई अवसर दिये जाने के बावजूद जवाब आवेदन पत्र टी0आई0 पेश नहीं किया गया है। वाद की प्रति0सं0 11 व 12 द्वारा प्राथमिक डिक्री हेतु सहमति प्रदान करने पर प्रकरण में प्राथमिक डिक्री जारी की गई है। चूंकि प्रकरण में पृथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एंव अपूर्णीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में बनना पाया जाता है। विवादग्रस्त भूमियों पर वाद विवाद बाहुलता नहीं बढ़े इसलिए न्यायहित में न्यायालय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार कर मूल वाद के निस्तारण तक अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करना न्यायालय उचित समझता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 212 आरटीएक्ट स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि राजस्व ग्राम रायपुरा प0ह0 लढाणा तहसील दांतारामगढ़, जिला सीकर की विवादित कृषि भूमियां ख0नं0 45/1 रकबा 2.51 है0 में मूल वाद के निस्तारण तक रिकॉर्ड एंव मौके की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैशल शुमार होकर नंबर से कम हो।

सहायक कलक्टर (मु0)सीकर

Scanned with CamScanner